रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1989/पौष 8, 1911
No. 240] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1989/PAUSA 8, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1989

संख्या वी- 21011/2/89-डब्ल्यू बी. --अपने दिनांक 17 जुलाई 1985 के संकल्प संख्या वी. 21030/1/85--डब्ल्यू बी. के द्वारा, भारत सरकार ने चीनी उद्योग के लिये केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड निम्नलिखित गठन तथा विचारार्थ विषयों के साथ नियत किया है :-

गठन

अध्यक्ष

श्री जगमोहन लाल टंडन

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

(1) श्री ई. के. कदम विधान सभा सदस्य

(2) श्री आर. पी. लनका।

कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

(1) श्री चन्द्रिका सिंह

(2) श्री जोगेश्वर त्यागी

सर्वश्री योगेश्वर त्यागी और ई. के. कदम के त्यागपत्र देने के फलस्वरूप, दिनांक 23-1-1986 के आदेश संख्या वी-24030/1/85--डब्ल्यू बी. के तहत श्री भाऊ पाठक और श्री शिवाजीराव पाटिल को क्रमश: कर्मचारियों तथा नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था --

विचारार्थ विषय

(क) कर्मचारियों के वर्गों (मैनुअल, लिपिकीय, पर्यवेक्षी आदि) का निश्चय करना जिन्हें केन्द्रीय मजदूरी निर्धारण के सीमाक्षेत्र में लाया जाना चाहिए,

(ख) उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट में यथा-निर्धारित उचित मजदूरी के सिद्धांतों के आधार पर मजदूरी ढांचा तैयार करना,

स्पष्टीकरण

मजदूरी ढांचा तैयार करते समय, मजदूरी बोर्ड उचित मजदूरी से संबंधित सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा :-

(1) विकासशील अर्थव्यवस्था में इस उद्योग की आवश्यकताएं,

(2) चीनी उद्योग की विशेषताएं,

(3) सामाजिक न्याय के आवश्यक तत्व;

(4) मजदूरी भिन्नताओं को ऐसी रीति से समंजित करने की आवश्यकता जिससे कर्मचारियों को अपना कौशल बढ़ाने की प्रेरणा मिले;

(5) उत्पादकता को मजदूरी से संबद्ध करने की संभाव्यता।

(6) कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करने की वांछनीयता। स्पष्टीकरण :--कार्य के अनुरूप अदायगी की पद्धति लागू करते समय बोर्ड न्यूनतम (जीवन निर्वाह) मजदूरी निर्धारित करने की और प्रति श्रम तथा प्रस्तुत गति से काम करवाने से बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा। चीनी उद्योग के लिए गठित इस तीसरे मजदूरी बोर्ड के लिए यह भी आवश्यक है कि वह मजदूरी निर्धारण करने के लिए उत्पादकता को एक कारक मानने के प्रश्न की नए सिरे से जांच करें।

2. मजदूरी बोर्ड द्वारा 9-1-1986 को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए की गई सिफारिशें सरकार ने 7 अगस्त, 1986 को स्वीकार की थीं तथा पक्षकार को उन्हें लागू करने का परामर्श दिया गया था।

3. बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 31 जनवरी, 1989 को प्राप्त हुई थी। सिफारिशों का सारांश संलग्न है।

4. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, सरकार ने बोर्ड द्वारा की गई सभी सिफारिशों को, सिवाय सिफारिशों के लागू करने की अवधि के, स्वीकार करने का निर्णय किया है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि सिफारिशें दस वर्षों के लिए लागू रहनी चाहिएं। सरकार ने विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि सिफारिशों को लागू करने की अवधि पांच वर्ष होगी न कि दस वर्ष जैसाकि बोर्ड ने सिफारिश की है। भारत सरकार नियोजकों, कर्मकारों तथा राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए अनुरोध करती है।

5. विस्तृत और/या गौण मसलों के मामलों के बारे में मतभेदों को पक्षकारों द्वारा पारस्परिक बातचीत या स्वैच्छिक विवाचन द्वारा सुलझाया जाएगा।

वी. पी. साहनी, सचिव

अनुलग्नक

चीनी उद्योग के लिए तीसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का सारांश

1. इस बोर्ड की सिफारिशें निम्न की सेवा-शर्तों को विनियमित करेंगी :

(1) केवल वैक्यूम पान कारखानों के कर्मकारों

(2) समय-समय पर यथा-संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निर्दिष्ट "कर्मकार" की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी कर्मचारी तथा श्रम कल्याण अधिकारी, चिकित्सा और शैक्षिक स्टाफ, जिसमें स्टैंडर्ड नामावली में निर्दिष्ट वर्ग शामिल हैं, इन सिफारिशों के अन्तर्गत आएंगे (अनुबन्ध-28)

(3) निम्न के संबंध में ठेका आधार पर नियोजित कर्मकार :

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया, या

(ख) निर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त मशीनरी या परिसर के किसी भाग की सफाई में, या

(ग) निर्माण प्रक्रिया में संगत या उससे सम्बद्ध किसी प्रकार का कार्य या निर्माण प्रक्रिया की वस्तु जिसमें कारखाना परिसर के अन्दर कच्चे माल की हैन्डलिंग, लदाई या उतराई, स्टोर या निर्मित उत्पाद शामिल है; या

(घ) चीनी कारखाने की मशीनरी, भवन या अन्य पूंजी आस्ति की मरम्मत और अनुरक्षण ;

(4) चीनी कारखाने द्वारा अपनी आवास कालोनी में कार्य के लिए नियोजित सभी व्यक्तियों को इस बोर्ड की सिफारिश के प्रयोजन हेतु कर्मकार की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

(5) यदि कर्मकार को चीनी कारखाने में आंशिक रूप से काम करने के लिए और सम्बद्ध उद्योग या चीनी कारखाने के स्वामित्व वाले गन्ना फार्म में आंशिक रूप से नियोजित किया जाता है तो वह वही मजदूरी प्राप्त करेगा जो सम्बद्ध उद्योग या चीनी कारखाने में प्रचलित हो, जो भी अधिक हो।

(6) यदि किसी कर्मकार का चीनी कारखाने से किसी अन्य सम्बद्ध उद्योग, जिसमें गन्ना फार्म भी शामिल है, में स्थानांतरण हो जाता है, तब वह वही मजदूरी प्राप्त करेगा जैसी कि चीनी कारखाने या उक्त सम्बद्ध उद्योग में प्रचलित हो, जो भी अधिक हो।

(7) चीनी कारखाने द्वारा ठेका आधार या दैनिक मजदूरी, अस्थायी या नैमित्तिक आधार पर रिपोर्ट के पैरा 33 में निर्दिष्ट कर्मकार की ड्यूटी करने के लिए नियोजित कर्मकार को न्यूनतम कुल मासिक मजदूरी को, (न्यूनतम मूल मजदूरी+निर्धारित भत्ता यदि कोई हो+महंगाई भत्ता) जैसी बोर्ड से सिफारिश की है, 26 द्वारा विभाजित करके गणना किए गए प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

2. चीनी कारखाने से बाहर और गन्ने की फसल काटने के लिए या इसे चीनी कारखाने में लाने ले जाने के लिए नियोजित ठेका श्रमिक को बोर्ड की सिफारिश के अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा।

3. कर्मकारों के फिटमैंट के लिए बोर्ड निम्नलिखित वर्गों की सिफारिश करता है :

आपरेटिव

(1) अकुशल
(2) अर्ध कुशल
(3) कुशल--ख
(4) कुशल--क
(5) अति अधिक कौशल प्राप्त

लिपिक

(6) लिपिक ग्रेड—IV
(7) ,, ,,—III
(8) ,, ,,—II
(9) ,, ,,—I

पर्यवेक्षी

(10) पर्यवेक्षी—ग
(11) ,, —ख
(12) ,, —क

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक व्यावसायिक नामावली अनुबन्ध-28 पर दी गई है।

5. दूसरे मजदूरी बोर्ड की नामावली सूची में निर्दिष्ट कुछ व्यवसायों को या तो निकाल दिया गया है या उन्हें अन्य व्यवसायों के साथ मिला दिया गया है। ऐसे व्यवसायों के ब्यौरे अनुबन्ध—29 में दिए गए हैं। बोर्ड, मानक नामावली सूची को अन्तिम रूप देने के अतिरिक्त, निम्नलिखित और सिफारिशें करता है :

(1) कुशल—ग श्रेणी समाप्त हो जाएगी और दूसरे मजदूरी बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आबंटित व्यवसायों को कुशल—ख श्रेणी में रखा जाएगा :

(2) क्लर्क ग्रेड—V श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है और दूसरे मजदूरी बोर्ड द्वारा इस श्रेणी को आवंटित व्यवसायों को क्लर्क—IV श्रेणी में रखा जाएगा।

(3) पर्यवेक्षी क—II और क—I श्रेणियों को मिला दिया गया है तथा इन्हें पर्यवेक्षी—क के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।

(4) तीसरे मजदूरी बोर्ड ने कुशल—ग को कुशल—ख श्रेणी में मिला दिया है। ऐसे विलयन की स्थिति में उन कर्मकारों का वेतन, जिन्हें दूसरे मजदूरी बोर्ड द्वारा कुशल—ग श्रेणी में रखा गया है तथा जो उसी श्रेणी में है, संशोधित वेतनमान में उन्हें संशोधित वेतनमान की दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का लाभ देकर निर्धारित किया जाएगा।

(5) व्यावसायिक नामावली की सूची विभिन्न पानी कारखानों में विद्यमान व्यवसायों को दर्शाती है। इसी सूची में उनके अनुरूप किसी पद के सृजन की कल्पना नहीं है जहां ऐसा पद विद्यमान नहीं है।

(6) पदों के लिए अब निर्धारित अपेक्षित अर्हक तथा अनुभव न रखने वाले मौजूदा पदधारी संशोधित वेतनमानों के पात्र होंगे।

6 बोर्ड ने निम्नलिखित मजदूरी वेतनमानों की सिफारिश की है जो सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे :—

संशोधित मजदूरी ढांचा

कर्मकारों की श्रेणी	संशोधित वेतनमान
क. ऑपरेटिव	
1. अकुशल	800-10-900-15-1050 रु.
2. अर्ध-कुशल	900-15-1050-20-1250/-रु.
3. कुशल—"ख"	1050-25-1300-30-1600/-रु.
4. कुशल—"क"	1200-30-1500-35-1850/-रु.
5. उच्च कुशल	1300-35-1650-40-2050/-रु.
ख. लिपिक	
6. ग्रेड—IV	1050-25-1300-30-1600/-रु.
7. ग्रेड—III	1200-30-1500-35-1850/-रु.
8. ग्रेड—II	1300-35-1650-40-2050/-रु.
9. ग्रेड—I	1400-40-1800-45-2250/रु.
ग. पर्यवेक्षी	
10. ग्रेड—सी	1400-40-1800-45-2250/-रु.
11. ग्रेड—बी	1500-45-1950-50-2450/-रु.
12. ग्रेड—ए	1700-60-2300-75-3050/-रु.

टिप्पण उक्त मजदूरी वेतनमानों के अलावा पैरा 263 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कर्मकारों की कुछ श्रेणियों को निर्धारित भत्ता देय है।

7 यद्यपि प्रस्तावित मजदूरी वेतनमानों की प्रत्यक्ष संख्या 12 है, परन्तु उनकी संख्या आठ है क्योंकि कुशल-"ख", कुशल-"क", उच्च कुशल तथा लिपिकीय ग्रेड-I के वेतनमान क्रमशः लिपिकीय ग्रेड-IV, लिपिकीय ग्रेड-III लिपिकीय ग्रेड-II तथा पर्यवेक्षी-सी जैसे है।

8. संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के मामले में 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार किसी कर्मकार की मौजूदा कुल मजदूरी के पूर्ण लाभ कर्मकारों की कुछ श्रेणियों को देने के लिए निर्धारित भत्तों (नि.भ.) की धारणा बनाई गई है। निर्धारित भत्ता कर्मकारों की ऐसी श्रेणियों को देय है जहां 1-1-88 को मौजूदा वेतनमान में न्यूनतम कुल मजदूरी (मूल वेतन+प.मं.भ.+सा.मं.भ.+अं.रा.+विशेष/तदर्थ वेतन) संशोधित वेतनमान में न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। कर्मकारों की उन श्रेणियों को निर्धारित भत्ता देय नहीं होगा जहां 1-1-88 को मौजूदा वेतनमान में न्यूनतम कुल परिलब्धि संशोधित वेतनमान में न्यूनतम परिलब्धि से कम है। इस तरह निर्धारित किया गया निर्धारित भत्ता मौजूदा वेतनमान में किसी कर्मकार की मूल मजदूरी को ध्यान में रखे बिना उस श्रेणी के सभी कर्मकारों के लिए बराबर ही होगा तथा यह निर्धारित भत्ता संशोधित वेतनमान के लागू रहने तक मिलता रहेगा।

कर्मकारों की किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित भत्ते को निर्धारित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :—

(1-1-88 को मौजूदा वेतनमान (संशोधित वेतनमान में नि.भ. = के न्यूनतम पर कुल मजदूरी)—न्यूनतम मजदूरी)

(i) कर्मकारों की उस श्रेणी के मामले में, जिसके लिए पैरा 263 के अनुसार नि.भ. देय है, वेतनमान में उस श्रेणी के किसी कर्मकार की मूल मजदूरी 1-1-88 को मौजूदा वेतनमान में उसकी कुल मजदूरी में उसकी मूल मजदूरी का 10% जोड़कर, बशर्ते कि यह कम से कम 40/- रु. हो, और उससे उस श्रेणी का निर्धारित भत्ता, यदि कोई हो, कम करके निर्धारित की जाएगी।

(ii) यदि उक्त उप पैरा (i) के अधीन निर्धारित संशोधित वेतनमान में किसी कर्मकार की मूल मजदूरी वेतनवृद्धि की स्थिति में आती है, तो मूल मजदूरी संशोधित वेतनमान में उच्चतर वेतनवृद्धि पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) कर्मकारों की उन श्रेणियों के लिए, जिन्हें निर्धारित भत्ता देय नहीं है तथा 1-1-88 को मौजूदा वेतनमान में किसी कर्मकार की मूल मजदूरी में मौजूदा वेतनमान में उसकी मूल मजदूरी का 10% बशर्ते कि यह कम से कम 40/-रु. हो, जोड़े जाने के बाद उसकी कुल मजदूरी संशोधित वेतनमान में उस श्रेणी की न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो मूल मजदूरी संशोधित वेतनमान में न्यूनतम दर पर निर्धारित की जाएगी। यदि 1-1-88 को किसी कर्मकार की कुल मजदूरी तथा मौजूदा वेतनमान में उसकी मूल मजदूरी का 10% जो कम से कम 40/- रु. हो, नये वेतनमान में न्यूनतम मजदूरी से अधिक है, तो नये वेतनमान में उसकी मूल मजदूरी नये वेतनमान में उचित वेतनवृद्धि पर निर्धारित की जाएगी।

(iv) यदि 1-1-88 को मौजूदा वेतनमान में कुल मजदूरी का हिस्सा 50 पैसे या इससे अधिक है, और यदि यह हिस्सा 50 पैसे से कम है, तो इसे संशोधित वेतनमान में फिटमेंट के प्रयोजनार्थ पूरा रुपया कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा।

9. कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्ग अब निर्धारित संशोधित वेतनमान से अधिक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई राशि प्राप्त करेंगे:

क. सं.	वर्ग	क्षेत्र	वेटेज प्रति माह
1.	पल्लेदार/हम्माल	सभी क्षेत्र	40-रु. प्रति माह
2	अतिथि गृह परिचर	—यथोक्त—	25-रु. प्रति माह
3.	उच्च गति स्वचालित अपकेन्द्री मशीन में कार्यरत अपकेन्द्री मशीन प्रचालकों को छोड़कर अन्य अपकेन्द्री मजदूर	—यथोक्त—	25/-रु. प्रति माह
4.	चपरासी, वाचमैन, स्वीपर क्लीनर	महाराष्ट्र	25/-रु. प्रति माह

पर्णीः वेटेज राशि को न तो संशोधित वेतनमान में मूल मजदूरी को निर्धारित करते समय और न ही किसी भी अवस्था में उसके हिस्से के रूप में लिया जाएगा।

10. जब कोई निम्न वर्ग का कोई रिलीवर किसी उच्च वर्ग में कर्मकार को रिलीव करता है, वह ऐसी सेवा की अवधि के दौरान उच्च वर्ग में कर्मकार द्वारा प्राप्त न्यूनतम से अन्यून दरों पर वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा। यह साप्ताहिक अवकाश देने के प्रयोजनार्थ नियोजित रिलीवर को भी लागू होगा। ऐसे कर्मकारों का प्रतिधारण भत्ते के भुगतान के प्रयोजनार्थ पिराई मौसम में सेवा की अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल मजदूरी के औसत का भी ध्यान में रखा जाएगा।

11. रिलीविंग कर्मकार को छोड़कर यदि किसी अन्य कर्मकार को दो भिन्न भिन्न ग्रेडों में बारी-बारी से तथा नियमित रूप में कार्यभार आबंटित किया जाता है, तब उसे दो ग्रेडों में से उच्चतर पदनाम तथा वेतनमान दिया जाएगा। तथापि वह निम्न ग्रेड में निर्धारित कार्यभार का निष्पादन करने से इंकार नहीं करेगा।

12 यदि कार्य की पद स्थिति में कोई परिवर्तन है जैसे वर्ष 1986-87 (अक्तूबर, 1986 से सितम्बर, 1987) में मौसमी तथा गैर-मौसमी के मध्य कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यभार में से बेहतर कार्यभार के ग्रेड तथा वेतनमान को संशोधित वेतनमान में निर्धारण के लिए माना जाएगा बशर्ते कि एक कर्मकार इस लाभ का हकदार नहीं होगा यदि उसने पूरे मौसम या पूरे गैर-मौसम में किसी उच्चतर ग्रेड में कार्यभार को निष्पादित न किया हो।

13 श्रम कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वेतनमान प्राप्त करेगा बशर्ते कि कोई अधिकारी पर्यवेक्षी "ख" ग्रेड के लिए अब निर्धारित वेतनमान से कम प्राप्त नहीं करेगा।

14. चिकित्सा अधिकारी को इस बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमान या उसके वर्तमान वेतनमान को चुनने का विकल्प होगा।

15. कम्पाउंडर, नर्स, ड्रेसर तथा दायी जैसे अन्य चिकित्सीय स्टाफ का वेतन मानक नामावली में उल्लिखित अपने वर्ग के अनुसार संशोधित वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा। जो कर्मचारी मुफ्त वर्दी, मुफ्त रिहायशी मकान तथा बिजली जैसी अन्य सुविधाएं या वर्दी भत्ते जैसे अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, वह उसे प्राप्त करते रहेंगे।

16 शिक्षण स्टाफ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वेतनमानों या विद्यमान वेतनमान, जो भी उच्चतर हो, को प्राप्त करेगा।

17 अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष निश्चित की जाती है। बोर्ड अधिवर्षिता आयु से आगे किसी कर्मचारी के नियोजन को जारी रखने या सेवा निवृत्ति के बाद उन शर्तों से कम हितकारी शर्तों पर पुनः नियोजन की प्रथा को हतोत्साहित करता है, जिन पर वे पहले सेवा में कार्य कर रहे थे। यदि किन्हीं कारणों से, ऐसे किसी कर्मचारी का नियोजन जारी रखा जाता है तो वह पहले ही की भांति उन्हीं सेवा शर्तों पर कार्य करेगा। ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवा को जारी रखा गया था या ऐसे जिन्हें 1-1-1988 को या उससे पूर्व उसी पद पर पुनः नियोजित किया गया है, सेवा जारी रखे हुए हैं 1 जनवरी, 1988 से लागू इस सिफारिश के लाभ के भी हकदार होंगे।

18. उपदान समय-समय पर यथासंशोधित उपदान संदाय अधिनियम 1972 के उपबन्धों के अनुसार कर्मकारों को देय है।

19 बोनस, समय-समय पर यथासंशोधित बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार कर्मकार को देय है।

20. कर्मचारियों या यूनियन (यूनियनों) के साथ किसी समझौते के अधीन 1-1-1988 को या उसके पश्चात् यदि किसी कारखाने ने मजदूरी, अंतरिम में या अन्यथा कोई सामान्य वृद्धि की है तो मजदूरी में ऐसी वृद्धि का बोर्ड द्वारा यथा सिफारिश संशोधित वेतनमानों में भविष्य की वेतन-वृद्धियों के कारण मजदूरी में वृद्धि से समायोजन किया जाएगा।

21. कोई चीनी कारखाना, जो कि यह मानता है कि इसके पास फालतू कर्मचारी हैं, अभिकथित फालतू श्रमिकों के संदर्भ में इस विषय में विद्यमान कानूनी उपबन्धों का सहारा ले सकता है या वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश में द्विपक्षीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय जैसे आपसी सहमति के निर्णय का पालन किए जाने के लिए कर्मकार यूनियनों को राजी कर सकता है।

22. परिवर्ती महंगाई भत्ते की योजना निम्नानुसार होगी:—

(i) परिवर्ती महंगाई भत्ते का औद्योगिक कर्मकारों के लिए 1960=100 पर आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भुगतान किया जाएगा। श्रम ब्यूरो, शिमला, श्रम मंत्रालय, ने 1960=100 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को हटाकर उसके स्थान पर अक्तूबर, 1988 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए 1982=100 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला को रिलीज किया है। 1960=100 आधार पर उ.मू.सू. की अब श्रम ब्यूरो द्वारा रिलीज किए गए 4.93 के रूपान्तरण कारक के साथ 1982=100 आधार पर उ.मू.सू. से गुणा करके गणना की गई है।

(ii) प.म. भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन वही होगा जो संशोधित वेतनमान में मूल वेतन=निश्चित भत्ते, यदि कोई हो।

(iii) परिवर्ती महंगाई भत्ते की गणना मूल मजदूरी की उसी प्रतिशतता के अनुसार की जाएगी जैसे उपर्युक्त (ii) में की गई है जिसके अनुसार औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) 100% निष्प्रभावीकरण के मामले में उ.मू.सू. 744 (अगस्त-अक्तूबर, 1987 की त्रैमासिक औसत) के ऊपर बढ़ेगा।

(iv) परिवर्ती महंगाई भत्ता उ.मू.सू. (1960=100) की त्रैमासिक औसत के आधार पर उ.मू.सू. 744 आधार के ऊपर प्रत्येक तिमाही में संशोधित किया जाएगा।

(v) 100% की दर से मूल्यों का निष्प्रभावीकरण (सूचकांक में वृद्धि) उनके लिए है जो संशोधित वेतनमान जमा निर्धारित भत्ता (यदि कोई है) में 1250 रुपये तक मूल मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।

(iv) उ.मू.सू. में वृद्धि का 80% निष्प्रभावीकरण उनके लिए है जो संशोधित वेतनमान जमा निर्धारित भत्ते में यदि कोई है, 1250 रुपये से अधिक और 2050 रुपये तथा मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यह नए वेतनमान में 1250- रुपये मूल वेतन जमा निर्धारित भत्ता, यदि कोई है, में प्राप्त करने वाले कर्मकारों को देय परिवर्ती महंगाई भत्ते की कम से कम न्यूनतम राशि हो।

(vii) उ.मू.सू. में वृद्धि का 70% निष्प्रभावीकरण उनके लिए है जो संशोधित वेतनमान में 2050 रुपये से अधिक मूल मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं बशर्ते कि यह 2050 रु. की मूल मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मकारों को देय परिवर्ती महंगाई भत्ते की न्यूनतम राशि के बराबर हो।

(viii) सूचकांक स्तर में प्रतिशतता, परिवर्तन को दशमलव के बाद दो अंकों तक गणना की जाएगी अर्थात् 1.235% को 1.24% में पूर्ण किया जाएगा और 1.234% को केवल 1.23% में पूर्ण किया जाएगा।

(ix) परिवर्ती महंगाई भत्ते की योजना 744 के आधार उ.मू.सू. (1960=100) के ऊपर पहली जुलाई, 1989 से लागू होगी।

(x) परिवर्ती महंगाई भत्ते के भुगतान की राशि 50 पैसे या अधिक के अंश को अगले रुपये में पूर्ण कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा।

23 (i) अकुशल कर्मकारों को प्रतिधारण भत्ते का भुगतान मूल वेतन जमा निर्धारित भत्ता, यदि कोई है, और गैर-मौसम के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते का 15 प्रतिशत की दर से 1-1-1988 से किया जाएगा।

(ii) ऐसे अकुशल कर्मकार जो 15 प्रतिशत से अधिक की दर पर प्रतिधारण भत्ता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें विद्यमान दर से भुगतान किया जाता रहेगा।

(iii) शेष सभी श्रेणियों के कर्मकारों को विद्यमान दर से प्रतिधारण भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(iv) यदि प्रतिधारण भत्ता लेने वाला कोई मौसमी कर्मकार गैर-मौसम के दौरान सेवा-निवृत्त होता है तो वह अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख तक प्रतिधारण भत्ते का पात्र होगा।

24 (i) वे कर्मकार जिन्हें पहली जनवरी, 1989 से पहले से कारखाना परिसर में आवास आबंटित है दूसरे मजदूरी बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार मकान किराए का भुगतान करते रहेंगे।

(ii) जिन कर्मकारों को पहली जनवरी, 1989 को या उसके पश्चात आवास आबंटित किए गए है तालिका-35 में दी गई दर से मकान किराए का भुगतान करेंगे।

25 दूसरे मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें जो इस बोर्ड की सिफारिशों से भिन्न नहीं है लागू होती रहेंगी।

26 यह सिफारिशें पहली जनवरी, 1988 से 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगी।

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 29th December, 1989

No. V-24014/2/89-WB.—By their Resolution No. V-24030/1/85-WB, dated the 17th July, 1985, the Government of India appointed the Third Central Wage Board for Sugar Industry with the following composition and terms of reference :—

COMPOSITION

Chairman

Shri Jagmohan Lal Tandon

Members representing Employers

(1) Shri D.B. Kadam, MLA,

(2) Shri O.P. Dhanuka

Members representing Employees

(1) Shri Chandrika Singh,

(2) Shri Veereshwar Tyagi.

Consequent on the resignation of S/Shri Veereshwar Tyagi and Shri D.B. Kadam, Shri Bhau Phatak and Shri Shivajirao Patil were appointed vide Order No. V-24030/1/85-W8, dated 23.1.86 to represent the employees and the employers respectively :

Terms of Reference

(a) To determine the categories of employees (Manual, clerical, supervisory etc.) who should be brought within the scope of the proposed wage fixation ;

(b) To work out a Wage structure based on the principles of fair wages as setforth in the report of the Committee on Fair Wages ;

EXPLANATION

In evolving a wage structure, the Board should in addition to the considerations relating to fair wages, also take into account :—

(i) The needs of the industry in a developing economy ;

(ii) The special features of the Sugur Industry ;

(iii) The requirements of social justice; and

(iv) The need for adjusting wage differentials in such a manner as to provide incentives to workers of advancing their skill;

(v) The possibility of linking productivity with wages; and

(vi) The desirability of extending the system of payment of results.

Explanation .—(1) In applying the system of payment of results, the Board shall keep in view the need for fixing a minimum (fall back) wage and also to safeguard against over work and undue speed. The Third Wage Board for Sugar Industry is also required to examine afresh the question of productivity as a factor for determining wages.

2. The recommendations made by the Wage Board for the grant of interim relief on 9.1.86 were accepted by the Government on 7th August, 1986 and the parties were advised to implement them.

3. The Board's final report was received by Government on the 31st Janauary, 1989. A summary of the recommendations is appended.

4. After careful consideration, the Government have decided to accept all the recommendations made by the Board excepting one relating to the period of operation of the recommendations. The Board has recommended that the recommendations should remain in force for ten years. The Government after consideration have decided that the period of operation of the recommendations shall be five years and not ten years as recommended by the Board. The Government of India requests the employers, the workers and the State Governments to implement the reommendations expeditiously.

5. The differences over matters of detail and/or minor issues will be settled by the parties in mutual negotiations or by voluntary arbitration.

V. P. SAWHNEY Secy.

APPENDIX—IX

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS OF THIRD WAGE BOARD FOR SUGAR INDUSTRY

1. The recommendations of this Board shall govern service conditions of :

(i) The workers of the vacuum pan sugar factories only.

(ii) All employees falling within the definition of "workman" as contained in the Industrial Disputes Act 1947 as amended from time to time shall be covered by the recommendations as also those employed as Labour Welfare Officer medical and educational staff including the categories detiled in the Standard Nomenclature (Annexure-XXVIII).

(iii) The workers engaged on contract basis in connection with :

(a) Manufacturing process as defined in Section 2(K) of the Factories Act 1948 or

(b) Cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing process; or

(c) any other kind of work incidental to or connected with the manufacturing process or subject of manufacturing process including handling, loading or unloading of raw materials, stores, or finished product within the premises of the factory, or

(d) repair and maintenance of machinery, building or other capital assets of sugar factory.

(iv) All persons employed by the sugar factory for work in its residential colony shall also be included in the definition of workman for the purpose of the recommendation of this Board.

(v) If a workman is employed to work partly in the sugar factory and partly in the allied industry or sugrcane farm owned by the sugar factory, he shall receive the same wages as obtaining in the allied industries or sugar factory whichever is higher.

(vi) If a workman is transferred from the sugar factory to any other allied industry including sugarcane-farm then he shall receive the same wages as obtained in the sugar factory or that in the allied industry whichever is higher.

(vii) A workman employed by a sugar factory on contract basis or daily wages, on temporary or casual basis to perform the duties of a workman as detailed in para 33 of the report' shall be paid at the rate per day calculated by dividing the minimum monthly total wage (Minimum Basic Wage+Fixed Allowance' if any—VDA) as recommended by this Board by 26.

2. The contract labour employed outside the sugar factory and for harvesting sugarcade or its transport to the sugar factory shall not be covered by the recommendations of the Board.

3. The Board recommends the following categories for fitment of the workers:

Operatives:

(i) Unskilled
(ii) Semi-skilled
(iii) Skilled-B
(iv) Skilled-A
(v) Highly Skilled

Clerks:

(vi) Clerk Grade-IV
(vii) Clerk Grade-III
(viii) Clerk Grade-II
(ix) Clerk Grade-I

Supervisory:

(x) Supervisory-C
(xi) Supervisory-B
(xii) Supervisory-A

4. The list of standard occupational nomenclatures as approved by the Board is at Annexure-XXVIII.

5. Some of the occupations contained in the Nomenclature list of the Second Wage Board have either been deleted or merged with other occupations. The details of such occupation are given in Annexure-XXIX. The Board besides finalising the list of standard nomenclature makes the following further recommendations:

(i) The category of Skilled-C stands abolished and the occupations allotted to this category by the 2nd Wage Board shall be placed in the category of Skilled-B.

(ii) The category of Clerk Grade-C has been aboished and the occupations allotted to this category by the 2nd Wage Board shall be placed in Clerk-IV category.

(iii) The categories of Supervisory A-II and A-I have been merged and are redesignated as Supervisory-A.

(iv) The 3rd Wage Board has merged Skilled 'C' into Skilled 'B' category. In the event of such merger, the pay of the worher who had been placed in Shilled 'B' category by the 2nd Wage Board and continue to remain in the same category, shall be fixed in the revised scales by giving them the benefit of two additional increments of the revised scale.

(v) The list of occupational nomenclature reflects the occupations nomrally in existence in different sugar factories. This list does not envisage creation of any post in accordance therewith where such post does not exist.

(vi) The present incumbents not having the requisite qualification and experience now prescribed for the posts shall be entitled to the revised scales.

6. The Board recommends the following wage scales applicable to all the regions:

Revised Wage Structure

Category of Workers		Revised Scale
A. Operatives		
1. Unskilled	—	Rs. 800-10-700-15-1050/-
2. Semi-skilled	—	Rs. 900-15-1050-20-1250/-
3. Skilled 'B'	—	Rs.1050-25-1300-30-1600/-
4. Skilled 'A'	—	Rs.1200-30-1500-35-1850/-
5. Highly skilled	—	Rs.1300-35-1650-40-2050/-
B. Clerks:		
6. Grade-IV	—	Rs.1050-25-1300-30-1600/-
7. Grade-III	—	Rs.1200-30-1500-35-1850/-
8. Grade-II	—	Rs.1300-35-1650-40-2050/-
7. Grade-I	—	Rs.1400-40-1800-45-2250/-
9. Supervisory		
10. Grade-V	—	Rs.1400-40-1800-45-2250/-
11. Grade-B	—	Rs.1500-45-1950-50-2450/-
12. Grade-A	—	Rs.1700-60-2300-75-3050/-

Note.—Besides the above wage scales, fixed allowance is admissible to some categories of workers as explained in para 263.

7. Though the ostensible number of proposed wage scales is 12, in fact their number is eight inas much as the scales of Skilled B, Skilled A, Highly Skilled and Clerical Grade-I are similar to those of Vlerical Grade-IC, Clerical Grade-III, Clerical Grade-II and Supervisory V respectively.

8. In order to extend full benefit of the existing total wage of a worHer as on 1-1-1788 to some categories of worHers in the matter of fication of pay in the revised scales, the concept of Fixed Allowance (FA) has been devised. The fixed allowance is payable to such categories of workers where total wage (Basic+VDA+GDA+IR+Special/ad-hoc) as on 1-1-88 at the minimum of the existing scale is higher than the minimum of the existing scale is higher than the minimum of the revised scale. There shall be no Fixed Allowance for the categories, where the total emoluments of a worker at the minimum of existing scale as on 1-1-88 is less than the minimum of the revised scale. The FA so determined shall be the same for all workers in that category irrespective of individual basic wage in the existing scale and that FA shall remain constant throughtout the operation of revised scale.

The procedure for determining the fixed allowance for particular category of workers is as follows:

FA = (Total wage at the minimum of the existing scale as on 1-1-1988) – (Minimum of the Revised Scale)

(i) In the case of the category of workers to whom FA is admissible as per Para 263, the basic wage of a worker of that category in the scale shall be fixed by adding 10% of individual basic wage of the existing scale subject to a minimum of Rs. 40 to his total wage as on 1-1-1988 and deducting therefrom the fixed allowance, if any, of that category.

(ii) In case the basic wage of a worker in the revised scale determined under sub-para (i) above falls in between the stages of the increments, the basic wage in the revised scale shall be fixed at the higher incremental stage.

(iii) The categories of workers for whom fixed allowance is not admissible and that the total wage of the worker at his individual basic wage in the existing scale as on 1-1-88 after adding 10% of his individual basic wage in the existing scale subject to a minimum of Rs. 40 falls short of the minimum of the revised scale of that category, the basic wage will be fixed at the minimum of the revised scale. If the total wage as on 1-1-88 plus 10% of individual basic wage in the existing scale subject to a minimum of Rs. 40 is more than the minimum of the new scale, his basic wage in the new scale shall be fixed at the appropriate stage of increment in the new scale.

(iv) If the total wage in the existing scale as on 1-1-88 is in the fractions of 50 paise or more it should be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored for the purpose of fitment in the revised scale.

9. The following categories of employees shall get weightage shown against each over and above the revised wage scale now fixed :

S. No.	Categories	Region	Weightage Per month
1.	Palledar/Hammal	All regions	Rs. 40 P.M.
2.	Guest House Attendant	– do –	Rs. 25 P.M.
3.	Centrifugal Mazdoor other than the Centrifugal Operators engaged in high speed automatic centrifugals.	–do–	Rs. 25 P.M.
4.	Peon Watchman Sweeper Cleaner	Maharashtra ,, ,, ,,	Rs. 25 P.M.

NOTE : The weightage amount shall neither be taken into account while fixing the basic wage in the revised scale nor shall it be taken as a part thereof at any stage.

10. When a reliever of a lower category relieves workman in a higher category, he shall during the period of such service receive pay and other allowances at the rates not lower the lowest received by workman in the higher category. This shall also apply to relievers employed for the purpose of allowing weekly holidays. For the purpose of payment of retaining allowance to such workers, the average of the total wages paid during periods of service in the crushing season shall also be taken into account.

11. If a workman other than a relieving workman is allotted duties in two different grades alternatively and regularly, then he shall be given the designation and wage scale of the higher of the two grades. However, he shall not refuse to perform the duties prescribed in the lower grade.

12. If there is any change in the status of job as between the season and off-season in 1986-87 (October 1986 to September 1987) the grade and the wage scale of the better of the jobs performed by the workman shall be considered of fitment in the revised wage scale provided that a workman shall not be entitled to this benefit if he has not performed the duty in a higher grade in full season or in full off-season.

13 The Labour Welfare Officer will get the wage scale as prescribed by the respective State Governments subject to the condition that no officer shall get less than the wage scale now prescribed for the Supervisory B grade.

14. The Medical Officer shall be allowed either to opt or the revised wage scale as recommended by this Board or his existing wage scale

15. The pay of other medical staff such as compounder, nurse, dresser and mid-wife shall be fixed in the revised scale as per their category mentioned in the Standard Nomenclature. These employees getting other amenities such as free uniform, free residential accommodation and electricity or other allowance such as Uniform Allowance, he/she shall continue to receive the same.

16. The teaching staff shall get the wage scales as prescribed by the respective State Governments or the existing scales whichever is higher.

17. The age of superannuation is fixed at 60 years. The Board discourages the practice of continuing the employment of an employees beyond the age of superannuation or re-employment after retirement on terms less favourable than those on which they were previously in service. If for any reasons, any such employee is continued in employment, he shall get the same terms of service as before. Such employees whose services were continued or who were re-employed in the same post on or before 1-1-1988 are still continuing in Service, shall also be entitled to the benefit of this recommendation with effect from 1st January, 1988.

18. The gratuity is payable to the workers in terms of the provision of the Payment of Gratuity Act, 1972 as amended from time to time.

19. The Bonus is payable to the worker in terms of the provision of the Payment of Bonus Act, 1972 as amended from time to time.

20. If a factory has, on or after 1-1-1988 under any settlement with the employees or the union(s), given any general increase in wages, interim or otherwise, such increase in wages shall be adjusted against the rise in wages on account of future increments in the revised scale as recommended by the Board.

21. A sugar factory which considers that it has surplus employees may resort to the existing Legal provisions on the subject in the context of alleged surplus labour or persuade the workers union to follow the mutually acceptable course like the decision of the Bipartite Committee taken in U.P. in 1982.

22. The scheme of VDA shall be as under :

(i) VDA shall be paid on the basis of All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers on base 1960=100. The Labour Bureau, Shimla, Ministry of Labour, has released New Series of CPI for Industrial Workers on base 1982=100 from October 1988 replacing the CPI on base 1960=100. The CPI on base 1960=100 is now calculated by multiplying the CPI on base 1982=100 with the conversion factor of 4.93 released by the Labour Bureau.

(ii) The basic wage for calculating VDA shall be that in the revised scale plus Fixed Allowance, if any.

(iii) VDA shall be calculated at the same percentage of basic wage as in (ii) above by which the consumer Price Index for Industrial Workers (1960=100) rises over CPI 744 (quarterly average of August-October 1987) in the case of 100% neutralisation.

(iv) The VDA shall be revised every quarter on the basis of quarterly average of the CPI (1960=100) over the base CPI 744.

(v) Neutralisation of price (index rise) at the rate of 100% shall be for those drawing basic wage in revised scale plus FA, (if any) upto Rs. 1250/-.

(vi) 80% neutralisation of CPI rise shall be for those drawing basic pay in revised scale plus FA, if any, above Rs. 1250/- and upto Rs. 2050/- subject to the minimum of CDA amount payable to the workers drawing upto Rs. 1250/- as basic in new scale plus FA, if any.

(vii) 70% of neutralisation of CPI rise shall be for those drawing above Rs. 2050/- as basic wage in the revised scale subject to a minimum of VDA amount payable to the workers drawing Rs. 2050/- as basic pay.

(viii) The percentage change in the index level shall be calculated upto two decimal points i.e. 1.235% will be rounded off as 1.24% and 1.234% shall be taken as 1.23% only.

(ix) The scheme of VDA shall be implemented from 1st July, 1989 over base CPI of 744 (1960=100).

(x) The payment on account of VDA involving fractions of 50 paise and more may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

23. (i) Retaining allowance shall be paid to unskilled workers at the rate of 15% of basic pay plus fixed allowance, if any, and VDA for the off-season with effect from 1-1-1988.

(ii) The unskilled workers getting retaining allowance at a rate higher than 15% shall continue to be paid at the existing rate.

(iii) All other categories of workers shall be paid retaining allowance at the existing rate.

(iv) If a seasonal workman getting retaining allowance retires during the off-season, he shall be entitled to the retaining allowance till the date of his retirement.

24. (i) The workers allotted housing accommodation in the factory premises before 1st January, 1989 shall continue to pay house rent as per schedule determined by the Second Wage Board.

(ii) The workers allotted housing accommodation on or after 1st of January, 1989 shall pay house rent at the rate detailed in Table-35.

25. The recommendations of the Second Wage Board as are not varied by this Board shall continue to apply.

26. These recommendations shall remain in force for a period of 10 years with effect from the 1st of January 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990